न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 75/2019

राकेश पुत्र सरदार उम्र 35 साल जाति कुम्हार निवासी गाम बारौली तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

.....रेस्पोडेन्ट असल

2. पूनी पत्नी स्व0 सरदार उम्र 60 साल
3. शोभाराम पुत्र सरदार उम्र 38 साल

} जाति कुम्हार निवासी ग्राम बारौली तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....तरतीवी रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 31.07.2017 ग्राम पंचायत बारौली तहसील भुसावर। नामान्तरकण संख्या 2074 बाकै ग्राम बारौली तहसील भुसावर।

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रपाल सिह, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक रैस्पो0सं0 1

निर्णय

दिनांक : 02.09.2021

अपीलान्टान ने यह अपील खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत बारौली तहसील भुसावर दिनांक 31.07.2017 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में

अतिरिक्त जिला कलक्टर

नामान्तरकरण संख्या 2074 ग्राम बारौली तहसील भुसावर खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 2074 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलवी की गई है। रैस्पो0 संख्या 2 व 3 को कई बार आवाज लगाई गई लेकिन वो उपस्थित नहीं आये इसलिये बकील अपीलान्ट एवं रैस्पो0 संख्या 1 पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2017 खिलाफ कानून होने से काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट के पिता सरदार पुत्र गिर्राज की आराजी वाकै ग्राम बारौली में स्थित है जिनका स्वर्गवास हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिये अपीलान्ट ने अपने पिता सरदार एवं दूसरी मॉ धप्पो का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसान प्रमाण पत्र हल्का पटवारी को दिया गया था। कैम्प ग्राम पंचायत बारौली में पटवारी हल्का बारौली को दिनांक 07.07.2017 को जांच करने के आदेश दिये गये थे, लेकिन हल्का पटवारी के द्वारा मौके पर कोई जांच नहीं की गई और ग्राम पंचायत बारौली द्वारा दिनांक 31.07.2017 को नामान्तरकरण संख्या 2074 वारिसान प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण खारिज फरमा दिया गया। विरासत का नामान्तरकरण नहीं खुलने के कारण अपीलान्ट को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अपीलान्ट अनपढ एवं मजदूर वर्ग का व्यक्ति है जिसे नामान्तरकरण के इन्द्राज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 2 व 3 ने हल्का पटवारी से अपनी आराजी पर केडिट कार्ड बैंक से लौन लेने हेतु देखी तो जानकारी हुई तो पटवारी से नामान्तरकरण की नकल दिनांक 14.10.2019 को प्राप्त कर अपील पेश की है। नकल लेने से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत ग्राम पंचायत बारौली तहसील भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा मृतक सरदार एवं उनकी प्रथम बेबा धप्पों के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसान प्रमाण पत्र की सही जांच न होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 2074 खारिज किया गया है। विरासत का नामान्तरकरण जांच का बिन्दु है अतः प्रकरण को जांच हेतु तहसीलदार भुसावर को भेजा जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 2074 वाके ग्राम बारौली तहसील भुसावर दिनांक 31.07.2017 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण मृतक सरदार के विरासत का खोला जाना था लेकिन तहत न्यायालय ने मृतक सरदार एवं उनकी प्रथम बेबा के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसान प्रमाण पत्र की सही जांच नहीं होने के कारण उक्त नामान्तरकरण खारिज किया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि मृतक सरदार के विरासत का नामान्तरकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का को मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसान प्रमाण पत्र दिये गये थे लेकिन उनके द्वारा सही जांच नहीं की गई जिसके कारण विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोला जा सका। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 2074 ग्राम बारौली तहसील भुसावर एवं सरदार कुम्हार के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2009 तथा धप्पोदेवी पत्नी सरदार का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 16.03.1974 की छायाप्रति पेश की है। ग्राम पंचायत बारौली पंचायत समिति वैर द्वारा दिनांक 30.08.2019 को सरदार के जारी वारिसान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक सरदार एवं उनकी प्रथम बेबा धप्पोदेवी के वारिसान की पटवारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हल्का द्वारा विस्तृत जांच नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण ग्राम पंचायत बारौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक सरदार एवं उनकी प्रथम बेबा धप्पो के वारिसान की विस्तृत जांच कर साक्ष्य वगैरा लेकर पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बारौली एवं तहसीलदार भुसावर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)